न्यायालयः–प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, डॉ अम्बेडकर नगर जिला–इंदौर म.प्र.

आई.ए. नंबर 03 / 2021
सत्र प्रकरण क्रमांक–71 / 2021
थाना डॉ. अम्बेडकर नगर का अप. क्रं–233 / 2021
अपराध धारा–420, 406, 467, 468, 471, 34 भा.द.सं.

म.प्र. राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र डॉ. अम्बेडकर नगर,
तहसील डॉ. अम्बेडकर नगर जिला इंदौर
..... राज्य

विरूद्ध

श्यामसिंह पिता मेहरबान सिंह,
उम्र– 24 वर्ष, व्यवसाय– मजदूरी,
निवासी–ग्राम कुमठी तहसील महू,
जिला इंदौर म.प्र.
..... आरोपी

–: आदेश :–

08.01.2022

अभियोजन द्वारा श्री दिनेश पंचोली अपर लोक अभियोजक।

अभियुक्त श्यामसिंह द्वारा श्री आशुतोष शुक्ला अधिवक्ता।

प्रकरण आरोपी **श्यामसिंह** के **प्रथम जमानत** आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 द.प्र.स. आई.एन. नं. 3 / 2021 तर्क हेतु नियत है।

थाना महू से अपराध क्र. 233 / 2021 धारा 420, 406, 467, 468, 471, 34 भा.द.सं. की केस डायरी मय प्रतिवेदन प्राप्त।

आरोपी की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र **प्रथम जमानत आवेदन पत्र धारा 439 दं0प्र0सं0** है, के समर्थन में शपथकर्ता सतीश जाटवा पिता बिलूजी जाटवा का शपथ पत्र पेश किया गया है। शपथपत्र के अनुसार इस आशय का अन्य कोई आवेदन पत्र पूर्व में प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही निराकृत हुआ है।

आवेदन पर आरोपी अधिवक्ता व अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक को सुना गया।

This is a True Copy of the Court Records Online. Proofed @ eCourtsIndia.com/TrueCopy/MP09050048582021-orderno-4.pdf

अभियुक्त श्यामसिंह के आवेदन पत्र के अनुसार अनुसंधान पूर्ण होकर अभियोग पत्र पेश हो चुका है। अनुसंधान में आवश्यकता नहीं है न ही कोई जब्ती शिनाख्तगी होना शेष है। प्रकरण के निराकरण में समय लगने की संभावना है। सहअभियुक्त दीपक को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एम.सी.आर.सी. क्र. 56088/2021 दिनांक 04.01.21 द्वारा जमानत पर उन्मुक्त कर दिया गया है। एनेक्चर अ संलग्न है। आरोपी श्यामसिंह का भी प्रकरण में समान रूप से भाग लेना बताया है। लॉ ऑफ पैरिटी के आधार पर आरोपी को प्रतिभूति पर उन्मुक्त किया जाना न्यायोचित होगा। मुख्य अभियुक्त देवेन्द्रसिंह द्वारा गाडियों को अनुबंध के मार्फत किराये पर लेकर उन्हें पैसे देता था व कूटरचित दस्तावेज बनवाकर फर्जी हस्ताक्षर कर छलपूर्वक अनुबंध लेख बनवाये गये, जो पुलिस द्वारा जब्त किये गये हैं। आरोपी के द्वारा कोई कूटरचना नहीं की गयी है, न ही गाडियों के अनुबंध बनवाये गये हैं, न ही किसी से किराया प्राप्त किया गया है। वाहनों को सुपुर्दगीनामे पर प्राप्त कर लिया गया है। फरियादी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट देरी से लिखवायी गयी है। अपराध से प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कोई संबंध नहीं है। झूठा फंसाया गया है। 24 वर्षीय नवयुवक होकर मजदूरी कर परिवार का भरण–पोषण करता है। महू का स्थाई निवासी है। फरार होने की संभावना नहीं है। योग्य जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया गया है।

प्रत्यर्थी/अनावेदक राज्य की ओर से श्री दिनेश पंचोली अपर लोक अभियोजक द्वारा घोर विरोध करते हुए जमानत आवेदन निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

आवेदन पर विचार हेतु सत्र प्रकरण का अवलोकन किया गया।

This is a True Copy of the Court Records Online. Proofed @ eCourtsIndia.com/TrueCopy/MP09050048582021-orderno-4.pdf

आरोपी के विरूद्ध सहअभियुक्तगण सहित आरक्षी केन्द्र महू के अपराध क्रमांक 233/2021 धारा 420, 406, 467, 468, 471, 34 भा.दं.सं. के तहत पंजीबद्ध होकर अभियोग पत्र पेश होकर उपार्पण पर प्राप्त होकर विचाराधीन है। फरियादी राजू द्वारा लिखित शिकायत की गयी कि उसकी स्विफ्ट डिजाइर कार क्रमांक एम.पी. 09 टी.ए. 9316 को दिनांक 04.03.2021 को देवन्द्र एवं उसके साथी **श्यामसिंह (आरोपी)**, दीपक रघुवंशी, रितेश वर्मा को किराये से टेक्सी में चलाने के लिए अनुबंध कर प्रतिमाह 30,000/—रूपये के हिसाब से दी थी। अनुबंध देवेन्द्र ठाकुर के नाम से लेख किया था परंतु देवेन्द्र ठाकुर द्वारा किराये के एवज में कोई राशि नहीं दी, वापिस लेने गया तो बोला तुम्हारी गाड़ी को कूट रचित हस्ताक्षर बनाकर महेश रघुवंशी को दो लाख रूपये में गिरवी रख दिया। महेश रघुवंशी से संपर्क किया तो बताया कि गाड़ी देवेन्द्र ने गिरवी रखी है दो लाख रूपये दे देगा तो वापिस कर दूंगा। इसी तरह सादिक खान की स्वीफ्ट डिजायर क्र. डी.एल. 04 सी.ए. 5276, नवाब शाह की स्वीफ्ट क्र. एम.पी. 09 सी.टी. 2542, इमरान खान की ईको क्र. एम.पी.09 सी.के. 8642, जयंतीलाल गुर्जर की स्वीफ्ट क्र. एम.पी. 09 सी. ई. 0517, फारूख शाह की अर्टीगा क्र. एम.पी. 09 सी.एम. 6514, सुरेन्द्र की अर्टिगा कार क्र. एम.एच. 04 जी.डी. 5840, निधि कपूर की स्वीफ्ट कार क्र. एम.पी. 04 एल.ए. 9900, महेश की एस प्रेसो क्र. एम.पी. 09 डब्ल्यु. जी. 1911 प्रथम चरण सोनगरा की स्वीफ्ट कार क्र. एम.पी. 09 डब्ल्यु. जी. 7266, जितेन्द्र रघुवंशी की स्वीफ्ट कार क्र. एम.पी. 09 सी. वाय. 7012 टीयागो कार क्र. एम.पी. 09 सी.वाय. 2115 व अर्टिगा कार क्र. एम.पी. 09 सी.टी. 3811, आसिफ अली की आई टेन कार क्र. एम.पी. 16 सी.बी. 2798, जितेन्द्र गोयल की टाटा इंडिगो कार क्र. एम.पी. 09 सी.पी. 9388, मनीष चौहान की स्वीफ्ट डिजायर कार क्र. एम.पी. 09

This is a True Copy of the Court Records Online. Proofed @ eCourtsIndia.com/TrueCopy/MP09050048582021-orderno-4.pdf

सी.एन. 2139 निलेश की झायलो कार क्र. एम.पी. 04 बी.ए. 5043, फारूख खान की स्वीफ्ट कार क्र. एम.पी. 09 सी.आर. 7573, विक्की देशवाल की स्वीफ्ट कार क्र. एम.पी. 09 सी.डी. 8767 के किराये अनुबंध बनाकर अन्य व्यक्तियों को कूट रचित दस्तावेज बनाकर गिरवी रख दिया। फरियादी की शिकायत पर से आरोपी श्यामसिंह सहित सहअभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध होकर अन्वेषण के दौरान सहअभियुक्तगण एवं आरोपी श्यामसिंह के मेमोरेण्डम कथन धारा 27 साक्ष्य अधिनियम के तहत लेख किए गए और आरोपी श्यामसिंह द्वारा दी गयी जानकारी के आधार दो वाहन जप्त होना जप्ती पत्रक से दर्शित है।

आरोपी के विरूद्ध आरोपी द्वारा सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादिया के अलावा अनेक व्यक्त्यिों से वाहन किराये पर लेने का अनुबंध कर किराया अदा न कर वाहनों को फर्जी दस्तावेज तैयार कर गिरवी रख कर छल और कूट रचना करने का आक्षेप है। माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर से प्राप्त एम.सी.आर.सी. नंबर 56088/2021 में पारित दिनांक 04.01.2022 के द्वारा प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों में प्रथम दृष्टया सहअभियुक्त देवेन्द्र ठाकुर के विरूद्ध आक्षेप होने और कोई दस्तावेज नाम से दर्शित न होने और अनुसंधान पूर्ण होने और अभियोग पत्र पेश होने के आधार पर जमानत आवेदन स्वीकार किया गया है। अभिलेख पर संकलित साक्ष्य से आरोपी का कृत्य भी जमानत प्राप्त उक्त सहअभियुक्त दीपक से भिन्न नहीं है। उक्त तथ्य, परिस्थितियों पर समग्र रूप से विचार करने उपरांत आरोपी को भी समानता के आधार पर जमानत प्राप्त सहअभियुक्त पर अधिरोपित शर्तों पर नियमित जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

This is a True Copy of the Court Records Online. Proofed @ eCourtsIndia.com/TrueCopy/MP09050048582021-orderno-4.pdf

अतः आरोपी **श्यामसिंह पिता मेहरबान सिंह** की ओर से प्रस्तुत **प्रथम जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 दं0प्र0सं0 (आई.ए.नंबर 03) स्वीकार** कर आदेशित किया जाता है कि आरोपी श्यामसिंह द्वारा **50,000/– रूपये (पचास हजार)** की सक्षम जमानत एवं इतनी ही राशि का बंधपत्र प्रस्तुत किये जाने पर आरोपी को निम्न शर्तों के अधीन जमानत पर छोड़ा जावेः–

1– आरोपी प्रत्येक नियत तिथि पर न्यायालय में उपस्थित होगा।

2– आरोपी जमानत पर मुक्त होने पर साक्षीगण को किसी भी रूप में प्रभावित नहीं करेगा।

3– **यदि यह पाया जाता है कि आरोपी विचारण के दौरान किसी अन्य प्रकरण में संलिप्त पाया जाता है तब यह जमानत आदेश स्वमेव निरस्त समझा जायेगा।**

आदेश की प्रति सहित केस डायरी वापस की जाये।

प्रकरण पूर्ववत आरोप तर्क हेतु दिनांक 12/01/2022 को पेश हो।

हस्ता/–

(श्रीमती शशि सिंह)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश
डा. अम्बेडकरनगर जिला इंदौर म.प्र.

पृष्ठांकन क्रमांक– दिनांक 08.01.2022
प्रतिलिपि–

थाना प्रभारी आरक्षी केंद्र महू की ओर आदेश की प्रति केस डायरी के साथ संलग्न कर सूचनार्थ प्रेषित।

(श्रीमती शशि सिंह)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश
डा. अम्बेडकरनगर जिला इंदौर म.प्र.

This is a True Copy of the Court Records Online. Proofed @ eCourtsIndia.com/TrueCopy/MP09050048582021-orderno-4.pdf